

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखें)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब सीट निर्विरोध ना हो (सीट पर चुनाव लड़ा गया है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा ।

राजस्थान राज्य से खंडेला-37 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में शामिल उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्रीमहादेव सिंह पता मु0 दुल्हेपुरा पो0 होद वाया- खण्डेला जिला-सीकर (राज0) निर्दलीय द्वारा प्रयोजित को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन की सीट को भरे जाने हेतु विधिवत् निर्वाचित किया गया है।

स्थान: सीकर

तारीख: 11.12.2018

(भागीरथ शाख)

रिटर्निंग आफिसर

उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट खंडेला

37-खंडेला विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

(भागीरथ शाख)

रिटर्निंग ऑफिसर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 37-खंडेला  
(उप खण्ड अधिकारी एव उप खण्ड मजिस्ट्रेट)  
खंडेला (सीकर)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Assembly of Rajasthan from Khandela-37 Assembly constituency.

In Pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that-

Shri MAHADEO SINGH VILL. DULHEPURA PO. HOD VIA-KHANDELA DISTT-SIKAR(RAJ.)

Sponsored by INDEPENDENT has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place:Sikar

Date:11-12-2018

(BhagirathShakh)



RETURNING OFFICER

(37)Khandela Assembly constituency  
(Sub Divisional Magistrate) Khandela

(भागीरथ शाख)  
रिटर्निंग ऑफिसर  
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 37-खंडेला  
(उप खण्ड अधिकारी, उप खण्ड मजिस्ट्रेट)  
खंडेला (सिकर)